

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक— 1339 / 11—सी—FP/UP/Others/15797/2015, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 27, 2016
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:— बिजनौर में नहतौर—नूरपुर—जोया—अमरोहा मार्ग किमी 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम—आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खसरा सख्या—147 में मै 0 एस्सार ऑयल लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0751 हे 0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्रांक—8बी/06/103/2016/एफ.सी./426, दिनांक 06.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में वान्छित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक—1841/14-1, दिनांक—26.12.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित किया है। उक्त पत्र की छायाप्रति सहित समस्त अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न कर, संशोधित प्रस्ताव की एक मूल प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:—यथोक्त (सी.डी. सहित)।

भवदीय



(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ 0 प्र 0, लखनऊ।




संख्या— 1339 / 11—सी—FP/UP/Others/15797/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि—विशेष सचिव, वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2, उ 0 प्र 0, लखनऊ को उ 0 प्र 0 शासन के पत्रांक—भा.स. 263/14-2-2016-800(81)/2016, दिनांक 14.12.2016 के कम में प्रस्ताव की एक मूल प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सा 0 वा 0 प्रभाग, बिजनौर।
3. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि 0, ए—5, सेक्टर—3, नोएडा।



(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ 0 प्र 0, लखनऊ।

